भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 81*
13 दिसंबर, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि

***81 डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:**
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विपणन सीजन 2023-24 के लिए सभी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)में वृद्धि को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां,तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न कृषि उत्पादों के एमएसपी में हुई वृद्धि तथा इन उत्पादों के एमएसपी में वृद्धि के लिए अपनाए गए मानदंडों सहित तत्संबंधी ब्यौरा फसल-वार क्या है;

(ग) क्या सरकार ने किसानों पर एमएसपी के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एमएसपी से कितने प्रतिशत किसान लाभान्वित हुए हैं;

(घ) क्या सरकार ने एमएसपी नीति के उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) खेती की लागत के अनुपात में किसानों की आय बढ़ाने के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
(श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि" के संबंध में दिनांक 13.12.2022 को देय लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 81* के उत्तर के भाग (क) से (ङ) के संबंध में विवरण।

(क) और (ख): जी हां महोदय, सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों पर विचार करने के बाद, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिश के आधार पर 2023-24 विपणन मौसम हेतु, 6 अधिदेशित रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि की है। गेहूं का एमएसपी अब 2125 ₹ प्रति क्विंटल है; जौ 1735 ₹ प्रति क्विंटल; चना 5335 ₹ प्रति क्विंटल; मसूर 6000 ₹ प्रति क्विंटल; रेपसीड एवं सरसों 5450 ₹ प्रति क्विंटल और कुसुम्भ 5650 ₹ प्रति क्विंटल।

एमएसपी की सिफारिश करते समय सीएसीपी, भूमि,जल एवं अन्य उत्पादन संसाधनों के युक्तिसंगत उपयोग सुनिश्चित करने के साथ-साथ समग्र मांग-आपूर्ति की स्थिति,उत्पादन लागत,घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों,अंतर फसल मूल्य समता, कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों, शेष अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव एवं एमएसपी के सम्बन्ध में उत्पादन लागत के ऊपर कम से कम 50 प्रतिशत लाभ जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है। एमएसपी के निर्धारण में उत्पादन की लागत एक महत्वपूर्ण कारक है। सीएसीपी वास्तविक भुगतान की गई लागतों एवं पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य के आधार पर वर्तमान वर्ष के लिए लागत का आकलन करता है । गत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के लिए 6 अधिदेशित रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग): नीति आयोग (पूर्व में योजना आयोग) ने 2016 में 14 राज्यों, 36 जिलों, 72 ब्लॉकों, 144 गांवों और 1440 घरों को कवर करते हुए "किसानों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रभावशीलता" नामक एक अध्ययन प्रकाशित किया था। अध्ययन में अन्य बातों के अलावा यह भी पाया गया है कि सरकार द्वारा घोषित एमएसपी ने अध्ययन के तहत कवर किए गए 78% किसानों को खेती के उन्नत तरीकों जैसे बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों, जैविक खाद, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों और कटाई के बेहतर तरीकों आदि को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है।

वर्ष 2019-20, 2020-21,2021-22 के दौरान खाद्यान्न की खरीद से लाभान्वित किसानों की संख्या क्रमशः 1.78 करोड़, 1.79 करोड़ और 1.93 करोड़ थी। इसी तरह, इसी अवधि के लिए खाद्यान्न की खरीद क्रमशः 114 मिलियन टन, 129 मिलियन टन और 134 मिलियन टन दर्ज की गई। पिछले तीन वर्षों 2019-20, 2020-21,2021-22 के दौरान खरीदे गए खाद्यान्न पर (एमएसपी मूल्यों पर) क्रमशः 2.19 लाख करोड़ रु. 2.49 लाख करोड़ रु. और 2.75 लाख करोड़ रु. खर्च हुआ।

(घ): सरकार उत्पादको को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और उच्चतर निवेश तथा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसपी की घोषणा करती हैं। सरकार ने अपने केंद्रीय बजट 2018-19 में एमएसपी को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के स्तर पर बनाए रखने के पूर्व-निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की थी। तद्नुसार, सरकार ने कृषि वर्ष 2018-19 से सभी अधिदेशित खरीफ,रबी और अन्य वाणिज्य फसलों के एमएसपी में, अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50

प्रतिशत लाभ के साथ वृद्धि की हैं। इसके अतिरिक्त, 2021-22 के दौरान देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 315.72 मिलियन टन है जो कि अब तक का सर्वाधिक है।

एमएसपी के अंतर्गत लाभार्थी किसानों की संख्या, खरीदी गई खाद्यान्नों की मात्रा एवं खरीद पर किये गये खर्च में लगातार वृद्धि इस बात का द्योतक है कि योजना अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल साबित हो रही है।

(ङ) सरकार ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसानों के लिए उच्च आय प्राप्त करने के लिए कई नीतियों, सुधारों, विकासात्मक कार्यक्रमों और योजनाओं को अपनाया और कार्यान्वित किया है। इनमें शामिल हैं:

1. **बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि**

वर्ष 2015-16 में, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (डेयर, डीएएचए एंड एफ सहित) के लिए बजट आवंटन केवल **25460.51** करोड़ रुपये था। इसे वर्ष 2022-23 में **5.44** गुना से अधिक बढ़ाकर **1,38,550.93 करोड़ रुपये** कर दिया गया है।

2. **पीएम किसान के माध्यम से किसानों को आय सहायता**

वर्ष 2019 में पीएम-किसान का शुभारंभ – यह 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये प्रदान करने वाली एक आय सहायता योजना है। अब तक लगभग **11.3** करोड़ पात्र किसान परिवारों को **2.2 लाख करोड़** रुपये से अधिक धनराशि जारी की गई है।

3. **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)**

छह साल – वर्ष 2016 में पीएमएफबीवाई को किसानों के लिए उच्च प्रीमियम दरों और कैपिंग के कारण बीमा राशि में कमी की समस्याओं का समाधान करने हेतु शुरू किया गया था। कार्यान्वयन के पिछले 6 वर्षों में – 38 करोड़ किसान आवेदकों को नामांकित किया गया है और 11.73 करोड़ से अधिक (अनंतिम) किसान आवेदकों को 1,24,223 करोड़ रुपये से अधिक के दावे प्राप्त हुए हैं। इस अवधि के दौरान किसानों द्वारा उनके प्रीमियम के रूप में लगभग 25,185 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था जिसकी तुलना में उन्हें 1,24,223 करोड़ रुपये (अनंतिम) से अधिक के दावों का भुगतान किया गया है। इस प्रकार किसानों द्वारा भुगतान किए गए प्रत्येक 100 रुपये के प्रीमियम के लिए, उन्हें दावों के रूप में लगभग 493 रुपये प्राप्त हुए हैं।

4. **कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण**

● संस्थागत ऋण की पहुंच को वर्ष 2015-16 में 8.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 में 18.5 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है।
● केसीसी के माध्यम से अब पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को भी उनकी अल्पकालिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 4% ब्याज पर रियायती संस्थागत ऋण का लाभ प्रदान किया जाता है।
● किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से सभी पीएम-किसान लाभार्थियों को कवर करते हुए रियायती संस्थागत ऋण प्रदान करने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया गया है। दिनांक 11.11.2022 की स्थिति के अनुसार, इस अभियान के हिस्से के रूप में 4,33,426 करोड़ रुपये की स्वीकृत ऋण सीमा के साथ 376.97 लाख नए केसीसी आवेदनों को मंजूरी दी गई है।

5. **न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन लागत का डेढ़ गुना तय करना –**

● सरकार ने वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत के प्रतिफल के साथ सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की है।
● धान (सामान्य) के लिए एमएसपी को वर्ष 2013-14 में 1310 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 में 2040 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
● गेहूं के एमएसपी को वर्ष 2013-14 में 1400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 में 2125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया।

6. **देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना**

● देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015-16 में परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) शुरू की गई थी। 32384 क्लस्टर गठित किए गए हैं और 6.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है जिससे 16.19 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अतिरिक्त नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 123620 हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया और प्राकृतिक खेती के अंतर्गत 409 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड के किसानों ने नदी जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ-साथ अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए गंगा नदी के दोनों ओर जैविक खेती शुरू की है।
● सरकार का भारतीय सांस्कृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) योजना के माध्यम से सतत प्राकृतिक कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव है। प्रस्तावित योजना का उद्देश्य खेती की लागत में कटौती करना, किसानों की आय में वृद्धि करना और संसाधन संरक्षण और सुरक्षित एवं स्वस्थ मृदा, पर्यावरण और भोजन सुनिश्चित करना है।

● पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) शुरू किया गया है। इसके तहत 379 किसान उत्पादक कंपनियों का गठन किया गया है जिसमें 189039 किसान शामिल हैं और 172966 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।

7. **प्रति बूंद अधिक फसल**

प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना वर्ष 2015-16 के में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों अर्थात ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता में वृद्धि करना और उत्पादकता में वृद्धि करना है। वर्ष 2015-16 से अब तक पीडीएमसी योजना के माध्यम से 69.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किया गया है।

8. **सूक्ष्म सिंचाई कोष**

नाबार्ड के साथ 5000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक निधि का एक सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया गया है। वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा में इस कोष में निधियों की मात्रा को बढ़ाकर 10000 करोड़ रुपये किया जाना है। इसके तहत 17.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों को कवर करने वाली 4710.96 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

9. **किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का संवर्धन**

क) माननीय प्रधानमंत्री जी ने **दिनांक 29 फरवरी, 2020 को वर्ष 2027-28** तक 6865 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ नए 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की गई।
ख) दिनांक 31.10.2022 की स्थिति के अनुसार, नई एफपीओ योजना के तहत 3855 एफपीओ पंजीकृत की गई हैं।

10. वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में **राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)** शुरू किया गया है ताकि परागण के माध्यम से फसल उत्पादकता में वृद्धि की जा सके और आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में शहद उत्पादन में वृद्धि की जा सके। मधुमक्खी पालन क्षेत्र के लिए वर्ष 2020-2021 से 2022-2023 की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वर्ष **2020-21 और 2021-22** के दौरान अब तक एनबीएचएम के तहत वित्त पोषण हेतु लगभग 139.23 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करते हुए 114 परियोजनाएं अनुमोदित/स्वीकृत की गई हैं।

11. कृषि यंत्रीकरण

कृषि को आधुनिक बनाने और कृषि कार्यों में कठोर श्रम को कम करने के लिए कृषि यंत्रीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2014-15 से मार्च, 2022 की अवधि के दौरान कृषि यंत्रीकरण के लिए 5490.82 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। किसानों को राजसहायता आधार पर 13,88,314 मशीनें और उपकरण प्रदान किए गए हैं। किसानों को किराये पर कृषि मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 18,824 कस्टम हायरिंग केंद्र, 403 हाई-टेक हब और 16,791 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए गए हैं। वर्तमान वर्ष अर्थात 2022-23 के दौरान अब तक राजसहायता पर लगभग 65302 मशीनों के वितरण, 2804 सीएचसी, 12 हाईटेक हब और 1260 ग्राम स्तरीय फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना के लिए 504.43 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

12. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना

पोषक तत्वों के इष्टतम उपयोग के लिए वर्ष 2014-15 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी। किसानों को निम्नलिखित संख्या में कार्ड जारी किए गए हैं।

i. चक्र-I (2015 से 2017) – 10.74 करोड़
ii. चक्र-।। (2017 से 2019) - 11.97 करोड़
iii. मॉडल ग्राम कार्यक्रम (2019-20) - 19.64 लाख

जैव-उत्प्रेरकों के संवर्धन के लिए विनियम जारी किए गए हैं। नैनो यूरिया को उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत शामिल किया गया है।

13. ई-नाम विस्तार मंच की स्थापना

(i) 22 राज्यों और 03 संघ राज्य क्षेत्रों की 1260 मंडियों को ई-नाम प्लेटफार्म से जोड़ा गया है।
(ii) दिनांक 31.10.2022 की स्थिति के अनुसार, ई-नाम पोर्टल पर 1.74 करोड़ से अधिक किसानों और 2.36 लाख व्यापारियों को पंजीकृत किया गया है।
(iii) दिनांक 31.10.2022 की स्थिति के अनुसार, ई-नाम प्लेटफॉर्म पर लगभग 2.22 लाख करोड़ रूपए के मूल्य वाली कुल 6.5 करोड़ मीट्रिक टन मात्रा व 19.24 करोड़ (बांस, पान के पत्ते, नारियल, नींबू और स्वीट कॉर्न) का सामूहिक रूप से व्यापार दर्ज किया गया है।

14. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयल पाम –

एनएमईओ के शुभारंभ को 11,040 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। इससे अगले 5 वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों में 3.28 लाख हेक्टेयर और शेष भारत में 3.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ऑयल पाम वृक्षारोपण के तहत 6.5 लाख हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्र शामिल किया जाएगा। यह मिशन उद्योग द्वारा सुनिश्चित खरीद से जुड़े किसानों को सरल मूल्य निर्धारण सूत्र के साथ ताजे फलों के गुच्छों (एफएफबी) के व्यवहारिक मूल्य प्रदान करने पर केंद्रित है। यदि उद्योग द्वारा भुगतान की गई कीमत अक्टूबर, 2037 तक व्यवहार्यता मूल्य से कम रहती है तो केंद्र सरकार व्यवहारिक भावांतर भुगतान के माध्यम से किसानों को मुआवजा देगी है।

15. कृषि अवसंरचना कोष

वर्ष 2020 में एआईएफ की स्थापना के बाद से, इस योजना ने 18133 से अधिक परियोजनाओं के लिए देश में 13681 करोड़ रुपये के कृषि बुनियादी ढांचे को मंजूरी दी है। इस योजना की सहायता से विभिन्न कृषि अवसंरचनाओं का सृजन किया गया है और कुछ अवसंरचना पूरी होने के अंतिम चरण में हैं। इन बुनियादी ढांचे में 8076 गोदाम, 2788 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, 1860 कस्टम हायरिंग केंद्र, 937 छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयां, 696 शीतागार परियोजनाएं, 163 परख इकाइयां और लगभग 3613 अन्य प्रकार की फसलोपरांत प्रबंधन परियोजनाएं तथा सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियां शामिल हैं।

16. कृषि उपज संभारततंत्र में सुधार, किसान रेल की शुरूआत।

रेल मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से जल्द खराब होने वाली कृषि वस्तुओं की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए किसान रेल शुरू की गई है। पहली किसान रेल जुलाई, 2020 में शुरू की गई थी। दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 तक 167 मार्गों पर 2359 किसान रेल सेवाएं संचालित की गई हैं।

17. एमआईडीएच - क्लस्टर विकास कार्यक्रम:

क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) को बागवानी समूहों की भौगोलिक विशेषज्ञता का लाभ उठाने और उत्पादन पूर्व, उत्पादन, फसल कटाई के बाद, रसद, ब्रांडिंग और विपणन गतिविधियों के एकीकृत और बाजार-आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (डीएएंडएफडब्ल्यू) ने 55 बागवानी समूहों की पहचान की है, जिनमें से 12 को सीडीपी के प्रायोगिक चरण के लिए चुना गया है।

18. कृषि और संबद्ध क्षेत्र में स्टार्ट-अप व्यवस्था का निर्माण

अब तक, वित्त वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान डीएएंडएफडब्ल्यू के ज्ञान भागीदारों और कृषि व्यवसाय इनक्यूबेटरों द्वारा 1055 स्टार्टअप का अंतिम रूप से चयन किया गया है। डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा सहायता अनुदान सहायता के रूप में संबंधित ज्ञान साझेदारों (केपी) और आरकेवीवाई-रफ्तार कृषि व्यवसाय इंक्यूबेटर (आर-एबीआई) को इन 1055 स्टार्टअप को वित्त पोषण के लिए स्वीकृत 10932.24 लाख रुपये की निधि में से 6317.91 लाख रुपये की अनुदान सहायता किस्तों में जारी की गई है।

19. कृषि और संबद्ध कृषि-वस्तुओं के निर्यात में उपलब्धि

देश में कृषि और संबद्ध वस्तुओं के निर्यात में जोरदार वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2015-16 की तुलना में, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में निर्यात वर्ष **2015-16 के 32.81** बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष **2021-22 में 50.24** बिलियन अमरीकी डालर हो गया है अर्थात **53.1%** की वृद्धि हुई है।

इन योजनाओं के सकारात्मक कार्यान्वयन के लिए सरकार के प्रयासों ने किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में उल्लेखनीय परिणाम दिए हैं। 'आजादी का अमृत महोत्सव' के हिस्से के रूप में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने एक पुस्तक जारी की है, जिसमें असंख्य सफल किसानों में से 75,000 किसानों की सफलता की कहानियों का संकलन है, जिन्होंने अपनी आय में दोगुना से अधिक की वृद्धि की है ।

अनुबंध

दिनांक 13.12.2022 को देय लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 81 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

अधिदेशित कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

		न्यूनतम समर्थन मूल्य (रु. प्रति क्विंटल)				पिछले वर्ष की तुलना में निवल वृद्धि		
क्र.सं.	जिन्स	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2020-21	2021-22	2022-23
1	गेहूं	1925	1975	2015	2125	50	40	110
2	जौ	1525	1600	1635	1735	75	35	100
3	चना	4875	5100	5230	5335	225	130	105
4	मसूर (लेन्टिल)	4800	5100	5500	6000	300	400	500
5	रेपसीड एवं सरसों	4425	4650	5050	5450	225	400	400
6	कुसुम्भ	5215	5327	5441	5650	112	114	209

*****